

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(3)नविवि/बानसूर/2022


जयपुर दिनांक: 21 FEB 2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उप नगर नियोजक, अलवर को बानसूर (जिला-अलवर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील बानसूर के 11 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया जाता है, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष-2041 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है।

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	
	अंग्रेजी में	हिन्दी में
1.	Bansur	बानसूर
2.	Barh Purohit	बाढ़ पुरोहित
3.	Barh Thegoowas	बाढ़ ठेगुवास
4.	Barh Dhoondhala	बाढ़ धूंधला
5.	Barh Bhawsingh	बाढ़ भावसिंह
6.	Majra Rawat	माजरा रावत
7.	Todiya ka Bas	टोडिया का बास
8.	Udho Ka Bas	उधो का बास
9.	Balawas	बालावास
10.	Boochiyawas	बूचियावास
11.	Ramnagar	रामनगर

राज्यपाल की आज्ञा से


18/2/2022
(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय